**<u>न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी।</u>**

**<u>प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या–914 सन् 2022</u>**

मो0 हुसैन बनाम इरशाद आदि
प्रार्थना पत्र 156(3) द0प्र0सं0
थाना–सराय अकिल,
जिला–कौशाम्बी।

**<u>13.12.2022–</u>**

पत्रावली आज प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 आदेशार्थ नियत है। विगत तिथि पर विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 प्रस्तुत करके याचना की गयी है कि विपक्षीगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराने एवं विवेचना कराये जाने का आदेश पारित किया जाये। सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्यानुसार प्रस्तुत मामले के सम्बन्ध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी की ओर से विपक्षीगण पर उसके बतख व मुर्गी को आटे की गोली में जहर मिलाकर खिलाने का आक्षेप है किन्तु उक्त जहर को कब मिलाकर खिलाया गया था इसकी कोई तिथि वर्णित नहीं है। प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के पैरा 3 में कथन किया कि जहर के कारण दिनांक 09.03.2022 को जब प्रार्थी ने मुर्गी का दरबा खोला तो उसमें मुर्गी व बतख मरे हुये पाये गये।

सम्बन्धित थाने की आख्या में वर्णित है कि दिनांक 09.03.2022 को बीमारी के कारण एक मुर्गी व एक बतख मर गये थे एवं इसी बात को लेकर दिनांक 07.11.2022 को आवेदक ने विपक्षीगण के साथ कहा सुनी शक के आधार पर की थी। शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दोनो पक्षों का चालान भी सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा किया गया था। अभिकथित घटना मुर्गी व बतख को जहर देने के 8 महीने बाद प्रार्थी द्वारा विपक्षी पर आक्षेप लगाया गया है। मरी हुयी मुर्गी व बतख को जहर दिये जाने की बावत न तो उनका पोस्टमार्टम कराया गया और न ही इस बावत ऐसा करते समय किसी के देखे जाने का कथन है। प्रकरण अत्यन्त तुच्छ प्रकृति का है एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही पर्याप्त प्रतीत होती है। अतः समेकित तथ्यों के दृष्टिगत प्रस्तुत मामले में अभियोग पंजीकृत कराये जाने व विवेचना कराये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं

होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0 निरस्त किये जाने योग्य है।

**:– आदेश –:**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 156(3) द0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(सुशील कुमारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कौशाम्बी।
ID No. UP 1772